आवेदिका ममता सहित अधिवक्ता श्री आर.सी.यादव उपस्थित।

परिवाद पत्र पर पंजीयन तर्क श्रवण किये गये। एतद् द्वारा परिवाद पत्र के पंजीयन के संबंध में आदेश किया जाये।

परिवादी ममता ने अनावेदकगण कैलाश, रामसेवक, रामस्वरूप एवं शीलाबाई अर्थात् अपने पति दो जेठ एवं जेटानी के विरूद्ध धारा 498 ए एवं 323 भा.द.सं. के अन्तर्गत परिवाद पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया है कि वर्ष 2012 में अनावेदक कैलाश के साथ विवाह के कुछ समय बाद से अनावेदकगण उससे 20 हजार रूपये एवं एक मोटर साईकिल दहेज की मांग करने लगे और उक्त मांग को लेकर उसे शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताडित करने लगे। जब परिवादी के पुत्री पैदा हुई तो इस बात का ताना मारकर भी उसके साथ मारपीट की। दिनांक : 14 / 01 / 2016 को अनावेदकगण ने परिवादी की मारपीट की, तब उसका भाई मनोज उसे मायके ले आया। दिनांक : 09/03/2016 को सुबह 10:00 बजे अनावेदक कैलाश ने परिवादी के मायके आकर उसके साथ गाली-गलीच एवं मारपीट की और उसकी दो वर्षीय पुत्री किरन को छीनकर अपने साथ ले गया। अतः दहेज ना देने पर उसे मारपीट करने की धमकी दे गया। पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई, इस कारण परिवाद पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

परिवाद के समर्थन में परिवादी ममता बाई एवं साक्षी राजेन्द्र सिंह एवं मनोज ने कथन किये है। साथ ही नगर निरीक्षक थाना मौ को प्रेषित आवेदन दिनांक 11/03/16 की छायाप्रति प्रस्तुत की है।

थाना मौ द्वारा परिवाद—पत्र की जांच उपरांत प्रतिवेदन इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि अनावेदकगण द्वारा दहेज की मांग को लेकर परिवादी के साथ मारपीट एवं गाली—गलौच करना एवं कूरतापूर्वक व्यवहार करना नहीं पाया गया है तथा परिवादी का पित केलाश साधू का भेश धारण कर लिया है और परिवादी को साथ रखने के लिए तैयार है। जांच प्रतिवेदन के साथ दोनों पक्षों के साक्षीगण के कथन संलग्न है। यद्यपि पुलिस

द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन न्यायालय पर बंधनकारी नहीं है। प्रतिवेदन के साथ संलग्न किसी भी दस्तावेज से प्रथम दृष्टया यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि किस आधार पर जांच का निष्कर्ष निकाला गया है।

परिवाद पत्र में दहेज की मांग एवं क्रूरता के संबंध में दो विनिर्दिष्ट घटनाओं का उल्लेख किया गया है। प्रथम दिनांक : 14/01/2016 एवं द्वितीय दिनांक : 09/03/2016। किन्तु परिवादी ममता ने न्यायालय के समक्ष उक्त दोनों में से किसी भी घटना का कोई उल्लेख नहीं किया है तथा क्रूरता के संबंध में विनिदिष्ट आक्षेपों का अभाव है। परिवादी दिनांक : 09/05/2017 से पॉच—छः माह पूर्व ही अन्तिम घटना बताती है। अर्थात् घटना लगभग दिसम्बर या जनवरी 2016 की होगी, किन्तु ऐसी किसी घटना का उल्लेख परिवाद पत्र में नहीं किया गया है। साक्षी राजेन्द्र सिंह एवं मनोज ने भी ऐसी किसी विनिर्दिष्ट घटना का उल्लेख नहीं किया है।

विवाह के समय दहेज की मांग का कोई आक्षेप परिवादी पक्ष की ओर से नहीं किया गया है, मारपीट में चोटें आने के संबंध में कोई मेडीकल परीक्षण रिपोर्ट या ईलाज के पर्चें भी प्रस्तुत नहीं है। प्रस्तुत दस्तावेजों से यह स्पष्ट है कि अभिकथित अन्तिम घटना के ठीक पश्चात् संबंधित थाने जाकर रिपोर्ट लिखाने का भी कोई प्रयास नहीं किया गया है और ना ही रिपोर्ट ना लिखे जाने की दशा में पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के पास धारा 154 ''03'' द.प्र.सं. के अन्तर्गत कोई कार्यवाही की गई।

यद्यपि इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि पक्षकारों के मध्य विवाद अवश्य है, किन्तु इस प्रकरण में न्यायालय को यह देखना है कि क्या भा.द.सं. की धारा 498 ए के अन्तर्गत अपराध गठित करने वाले तत्व प्रथम दृष्टया विद्यमान है, या नहीं।

इस प्रक्रम पर यद्यपि मामले के गुण—दोष पर विचार नहीं किया जाना है, तथापि यह अवश्य ही देखा जाना है कि क्या अनावेदक के विरूद्ध आक्षेपित अपराध पंजीबद्ध करने के प्रथम दृष्ट्या आधार है। पूर्वोक्त के स्पष्ट है कि अनावेदक के विरूद्ध अभिकथित अपराध पंजीबद्ध करने के प्रथम दृष्ट्या आधार नहीं है। फलतः धारा 203 द.प्र.सं. के अर्न्तगत हस्तगत परिवाद निरस्त किया जाता है।

प्रकरण का परिणाम संबंधित पंजी में दर्ज कर अभिलेख व्यवस्थित कर नियत समयाविध में अभिलेखागार प्रेषित किया जाये।

> शिवानी शर्मा जे.एम.एफ.सी, गोहद